

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

संख्या  
2024

दायर दिनांक

13.05.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

27.05.2024

सांवरमल पुत्र बालु अचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
रामलाल पिता बालु अचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
कमला पुत्री बालु अचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
सोमेश्वर पिता बालु आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
भूरी पिता बालु अचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
लहरी पिता बालु अचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

दिनेश पिता गोपाल अचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
सम्पत पिता गोपाल अचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
रामेश्वर पिता शंकर आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
केलाश पिता छगना आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
भवरलाल पिता, शंकर आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
देवीलाल पिता रामलाल आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
गीता पत्नि गोपाल आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
कन्यादेवी पत्नि जमनालाल आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
भेरूलाल पिता जमनालाल आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
निलेश कुमार पिता पन्नालाल शर्मा निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
रामलाल पिता सवाईराम आचार्य निवासी हलेड आयु व्यस्क तहसील व जिला भीलवाडा  
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

-विपक्षीगण


स्थित-अधिवक्ता प्रार्थी मांगीलाल सेन

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा


मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 987 की अभिलिखित आराजियात 1510, 1516 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5184 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 987 की अभिलिखित आराजियात 1510, 1516 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5184 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो इन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपपंड अधिकारी  
भीलवाडा  
भीलवाडा